न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 95/2025 — दायर दिनांक–21.04.2025

1. महेन्द्र कुमार पुत्र मालीराम जाति जाट निवासी बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू

–वादी

1. ताराचंद पुत्र बींजा (मृतक)
   1/1 सुरेन्द्र कुमार पुत्र ताराचंद
   1/2 नाथी देवी पत्नी ताराचंद
2. देवाराम पुत्र बींजा (मृतक)
   2/1 विधाधर पुत्र देवाराम
3. महेन्द्र सिंह पुत्र बींजा (मृतक)
   3/1 मुकेश पुत्र महेन्द्र
   3/2 भंवरी पत्नी महेन्द्र
4. शिशराम पुत्र बींजा समस्त जाति जाट निवासी बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री सज्जन कुमार चाहर
वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

दावा बाबत : घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक–17.11.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम बुगाला पटवार हल्का बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 126 पुराना 54 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं0 1355/921 रकबा 0.300 है०, खसरा नम्बर 482 रकबा 0.3200 है०, खसरा नम्बर 486 रकबा 0.2700 है०, खसरा नम्बर 921 रकबा 0.6600 है० कुल किता 4 कुल रकबा 1.5500 है० भूमि अवस्थित है जो प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 4 के नाम से राजस्व रिकॉड में दर्ज है जिसको आगे वाद पत्र में विवादित भूमि के नाम से दर्ज व संबोधित किया गया है। उक्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर 346, 368/671 है।

वादी ने सन् 1978 में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के पिता के जीवनकाल में ही लिखापढ़ी के आधार पर क्रय कर ली थी तब से वादी उक्त भूमि पर लगातार काबिज काश्त रहा है तथा भूमि को लगातार सिंचाई के काम में ले रहा है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 4 का नाम दर्ज चला आ रहा है इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर वादी के नाम 1 बीघा पक्की अर्थात 0.25 है० हिस्से की घोषणा की जावें प्रतिवादी प्रत्येक का 1/24–1/24 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसका 0.25 है० कृषि भूमि बनती है उक्त 1/6 हिस्से की घोषणा वादी के नाम दर्ज की जायें जिसके लिए उक्त वाद बाबत घोषणार्थ का श्रीमानजी की सेवामें पेश करना आवश्यक हुआ।

वादी का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है अगर वादी का राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त नहीं किया गया तो वादी को भंयकर हकतलफी होगी जिसका खामियाजा किसी भी सुरत में संभव नहीं होगा तथा आगे से अ[illegible] तथा समय व धन की बर्बादी होगी।

उक्त वाद के लिए वादकारण दिनांक 05.04.2025 को वादी [illegible] रिकॉर्ड की नकल प्राप्त की ओर राजस्व रिकॉर्ड की नकल को देखने पर वादी को पता चला [illegible] उक्त वर्णित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम से दर्ज चला आ रहा है [illegible] न्यायालय के क्षेत्राधिकार [illegible] हुआ। वैसे भी घोषणार्थ व रिकॉर्ड दुरूस्ती के लिए वाद हमेशा होता रहता है जब तक राजस्व रिकॉर्ड के बारे में पक्षकार को मालूम नही हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:32:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

विवादित काश्त की भूमि ग्राम बुगाला की सरहद में अवस्थित है जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण श्रीमान को यह दावा सुनने का श्रवणाधिकार प्राप्त है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी बहक प्रतिवादीगण डिक्री किया जावे कि राजस्व ग्राम बुगाला पटवार हल्का बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 126 पुराना 54 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं0 1355/921 रकबा 0.300 है0, खसरा नम्बर 482 रकबा 0.3200 है0, खसरा नम्बर 486 रकबा 0.2700 है0, खसरा नम्बर 921 रकबा 0.6600 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.5500 है0 में वादी को 0.25 है। यानि 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादीगण का राजस्व रिकॉर्ड से नाम हजफ किया जावें। इस आदेश की तहरीर प्रतिवादी नं. 5 को जारी की जावें।

वादी द्वारा वाद-पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1/1 व 1/2 स्वयं उप0। प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादीगण संख्या 1/1 व 1/2 की ओर से इकबालिया जबाब दावा पेश होने पर तथा शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु जयप्रकाश, सुन्दरलाल व जगदीश के चिफ के सपथ पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद-पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श 1 नकल मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श 2 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075-78 प्रदर्श 3 असल इकरारनाम/लिखावट आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस मे वाद-पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रदर्श-2 राजस्व ग्राम बुगाला पटवार हल्का बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 126 पुराना 54 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं0 1355/921 रकबा 0.300 है0, खसरा नम्बर 482 रकबा 0.3200 है0, खसरा नम्बर 486 रकबा 0.2700 है0, खसरा नम्बर 921 रकबा 0.6600 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.5500 है0 भूमि स्थित होना प्रमाणित है। प्रदर्श-3 इकरारनामा बाबत भूमि बेचान में स्पष्ट अंकित है कि वादी ने सन् 1978 में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 से लिखापढ़ी/इकरारनाम के आधार पर क्रय कर ली थी। उक्त ईकरारनामा में गवाह के रूप में विक्रेता ताराचंद, देवाराम, महेन्द्र, शिशराम के हस्ताक्षर है। जिससे भूमि जरिये इकरारनामा विक्रय किया जाना प्रमाणित होता है। गवाह श्री जयप्रकाश, सुन्दरलाल व जगदीश ने अपने सपथ पत्रों में कथन किया गया है कि उक्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है तथा उक्त भूमि को वादी के द्वारा क्रय किया गया था तथा क्रय किये गये रोज से ही उक्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त रहा है। वादी द्वारा उक्त भूमि जरिये ईकरारनामा से क्रय किया जाना प्रमाणित है तथा कब्जा काश्त भी क्रय के रोज से वादीगण व उनके पूर्वजों का होना प्रमाणित है। तहसीलदार नवलगढ़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट से भी उक्त भूमि पर वादी का कब्जा होना प्रमाणित है। प्रतिवादीगण सं0 1/1 व 1/2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार का वाद आज तक पेश नही किया है जिससे स्पष्ट है कि वादी का आज तक प्रतिवादीगण की सहमति से शांति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण की ओर से वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति पेश नही की है। ऐसी स्थिति में जहां प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार कर लिया है एवं दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद शेष नही रहा है, वहां न्यायालय को राजस्व हानि/कर चोरी का पक्ष देखना आवश्यक है। वादी द्वारा अपना वाद दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य एवं कब्जा काश्त अनुसार पूर्णतया साबित पाया गया है। उभय पक्ष की सहमति को देखते हुए न्यायालय राय में उक्त प्रकरण कर अपवंचन का प्रतीत होता है अतः वाद वादी राजस्व हानि के दृष्टि से सशर्त वर्तमान डी.एल.सी. दर से देय मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क वादी से जमा करवाया जाकर वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से उक्तानुसार स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:32:56 IST
Reason: SelfAttested

:: आदेश ::

लिहाजा वाद वादी सशर्त मुद्रांक कर/पंजीयन शुल्क [illegible] स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम बुगाला पटवार हल्का बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 126 पुराना 54 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं0 1355/921 रकबा 0.300 है0, खसरा नम्बर 482 रकबा 0.3200 है0, खसरा नम्बर 486 रकबा 0.2700 है0, खसरा नम्बर 921 रकबा 0.6600 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.5500 है0 में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 का नाम हजफ किया जाकर वादी को 0.25 है0 अथवा 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि वह उक्त रकबे पर वर्तमान डी.एल.सी. दर से देय मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क वादी से जमा करवाने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 17.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:32:56 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

<u>दावा बाबत : घोषणा, दुरूस्ती रिकॉर्ड</u>

मुकदमा सं0:– 95/2025 **(महेन्द्र कुमार बनाम ताराचंद आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुददई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 17.11.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। लिहाजा वाद वादी सशर्त मुद्रांक कर/पंजीयन शुल्क अदा करने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम बुगाला पटवार हल्का बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 126 पुराना 54 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं0 1355/921 रकबा 0.300 है0, खसरा नम्बर 482 रकबा 0.3200 है0, खसरा नम्बर 486 रकबा 0.2700 है0, खसरा नम्बर 921 रकबा 0.6600 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.5500 है0 में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 का नाम हजफ किया जाकर वादी को 0.25 है0 अथवा 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि वह उक्त रकबे पर वर्तमान डी.एल.सी. दर से देय मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क वादी से जमा करवाने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 17.11.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

.मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
.स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:32:56 IST
Reason: SelfAttested